भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 773

जिसका उत्तर 17 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ पूर्वानुमान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी

773. श्री प्रदान बरुवा:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असम के लखीमपुर, डिब्रूगढ़ और माजुली जिलों में नदी के कटाव किस प्रकार रोकने की योजना बनाई गई है;

(ख) क्या सरकार की बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और हाइड्रो-मेटियोरॉलॉजिकल सिस्टम अधिष्ठापित करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी कब तक अधिष्ठापित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार जान और माल/अवसंरचना की किसी संभावित क्षति की सुरक्षा के लिए रेल नेटवर्क, सड़कों और पुलों की सुरक्षा/तकनीकी संपरीक्षा हेतु रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ समन्वय करती है जिससे सुचारू संपर्क सुनिश्चित हो सके क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के अनुसार, बाढ़ नियंत्रण ढांचों की असफलता अथवा जलाशयों के दोषपूर्ण विनियमन को शामिल करने वाली परिस्थितियों को छोड़कर बाढ़ प्राकृतिक घटना है और बाढ़ के विरूद्ध स्थायी प्रतिरोध तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। तथापि, बाढ़ और कटाव का प्रभाव उपयुक्त ढांचागत और गैर ढांचागत उपायों को अपनाने के द्वारा कतिपय डिग्री तक घटाया जा सकता है। असम राज्य के लिए 11वीं योजना (996.14 करोड़ रू. की लागत वाली 100 परियोजनाएं) और 12वीं योजना (1386.97 करोड़ रु. की लागत वाली 41 परियोजनाएं) के दौरान 2383.11 करोड़ रु. की लागत वाली कुल 141 परियोजनाओं में से 11वीं और 12वीं परियोजनाओं के दौरान 103 परियोजनाएं पूरी की गई थी। 11वीं (748.86 करोड़ रु.) और 12वीं (64.89 करोड़ रू.) योजना के दौरान 813.75 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-20 के दौरान 472.64 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। इस प्रकार, 11वीं. योजना के आरंभ से जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता आज की तारीख तक 1286.39 करोड़ रु. है। माजूली जिले के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा विभिन्न चरणों में कटाव संरक्षण निर्माण कार्य का कार्यान्वयन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एमओडीओएनईआर से 207 करोड़ रु. की विभिन्न सहायता के साथ 233.75 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की तकनीकी परामर्शदात्री समिति की सिफारिसों के अनुसार और एक स्कीम "माजूली द्वीप का बाढ़ और कटाव से संरक्षम का कार्यान्वयन किया जा रहा है"□

इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग असम ने लखीमपुर माजूली और डिब्रूगढ़ के जिलों में कटाव प्रबंधन स्कीमों को भी लिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ली गई सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

(□) केंद्रीय जल आयोग ने असम में विविध नदी बोसिनों में उपग्रह अर्थात स्वचालित डाटा अधिग्रहण प्रणाली के संबंध में कार्यरत 54 स्टेशनों को संस्थापित किया है। जल संसाधन विभाग, असम के पास नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत रियल टाइम डाटा अधिग्रहण प्रणाली को संस्थापित करने की भी एक योजना है। इसके पूरे असम राज्य में प्रस्तावित स्टेशनों से रियल टाइम हाइड्रोलॉजिक मेट्रोलॉजिकल डाटा में सहायता मिलेगी। ये स्टेश नियर रियल टाइम हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डाटा उपलब्ध कराती है जैसे जल स्तर, वर्षापात इत्यादि। इसमें असम में ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान की आवश्यकता पूरी होंगी।

(□) □□ (□) □□, हां। इंजिनियरों की असम राज्य समिति की बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की जाती है। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ इस समिति का एक सदस्य है। इन बैठकों में असम सरकार द्वरा आरंभ करने हेतु प्रस्तावित रेलवे से संबंधित बाढ़ के उपशमन और अन्य संबंधित अवसंरचनात्मक सुधार स्कीमों पर चर्चा की जाती है। इन बैठकों में रेलवे द्वारा जारी किये गये मुद्दों की चर्चा की जाती है। स्कीमों का कार्यान्वयन करते समय, रेलवे ट्रैक/नदी तटो/ पुलों को संरक्षित करने के लिए रेलवे द्वारा उठाये गये मुद्दों की देख-रेख □□□□ □□□□ □□□

इसके अतिरिक्त, □□□ 88 रेलवे अफेक्टिंग वर्क और रेलवे अफेक्टिंग टैंक हैं, जिनका निरीक्षिण प्रतिवर्ष मॉनसून के पश्चात रेलवे के अधिकारियों और संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और मॉनसून के आरंभ से पूर्व संबंधित राज्य सरकार के विभाग द्वारा मरम्मत/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन उपाय किये जाते हैं।

*****

अनुलग्नक-1

नदी के कटाव को कम करने के लिए असम के लखीमपुर, डीबूगढ़ और माजुली जिलों में जल संसाधन विभाग, असम सरकार द्वारा आरंभ की गई स्कीम।

□) □□□□□□ □□□

(लाख रु. में)

क्र.□□.	निधि का स्रोत	स्कीम का नाम	प्राक्कित लागत
1.	2017-18 के दौरान नाबा (□□□ □□□□ XXIII)	बोगीनदी (□□□-I) के निकट हेकेराजान में सुबंध श्री नदी के □□/बी पर संरक्षण कार्य	750.00
2.	2017-18 के दौरान नाबा (□□□ □□□□ XXIII)	□□/एस कार्य के साथ सुबंधश्री आर/बी को संरक्षित करने के लिए ए/□ □□□□ (□□□□ □□□□ □□ □□□ □□) (□□□-I)	200.00
3.	2018-19 □□ □□□□ □□□ □□□□-XXIV	विभिन्न क्षेत्रों में ए/□ □□□□ □□□ □□□□ (□□□-I) के माध्यम से संचार नेटवर्क के सुधार सहित सीएच जीरो से 19000 □□ के बीच में भोगा मुख से मुखवा तक अ /□□ □□□□□□□ □□/□□ □□□□	150.00

□) डिब्रूगढ़ □□□

(लाख रु.में)

क्र.□□	निधि का स्रोत	स्कीम का नाम	प्राक्कलित □□□
1.	2017-18 के दौरान नाबा (□□□ □□□□ XXIII)	देवचल्ली हिल से टिप्पलिंग घाट तक बूढ़ीदेइंग नदी के आर/बी के साथ टी/डाइक का सरक्ष 400	400.00
2.	□□ □ □□□-□□, 2019-20	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से मुलुक गांव और इसके पास के क्षेत्रों को बचाने के लिए मुल्लुक गांव के पास ब्रह्मपुत्र नदी के स्पील चैनल पर प्रो-सिल्टेशन उपाय 499.50	499.50
3.	□□ □ □□□-□□, 2019-20	डिराक चुम्मोनिंग क्षेत्र में मौजूदा लैंड स्पर सहित साल खोवा □□□ (□□□-I) में नुकसान को रीस्टोर करना। 500.00	500.00
4.	2019-20 के लिए डीओएनईआर	सवोनंदा सिंघा समाधी ऐक्स्ट्रा और गुईजंग तथा इ□□□□□ □□ क्षेत्रों के संरक्षण के साथ ब्रह्मपुत्र (अनंतानालिया) के किनारों का पुनर्निर्माण और विकास	1800.00
5.	2020-21 के लिए आरआईडीएफ-XXV	11वें और 12वें कि.मी. □□ □□□□ □□.एफ तक बूढ़दैइंग नदी □□ □ □/बी पर टेंगा घाट बांध अनुभाग II के लिए कटावरोधी □□□	250.00
6.	2020-21 के लिए आरआईडीएफ-XXV	बूढ़ीदेइंग नदी के कटाव से टिप्पलिंग-नागौन क्षेत्र का संरक्षण	200.00

□) माजुली जिला

(लाख रु. में)

क्र.□□	निधि का स्रोत	स्कीम का नाम	प्राक्कलित □□□
1.	2018-19 के लिए □ □ □ □□□□ XXIV	सुबनश्री नदी के कटाव से लिंगराई जीपी के अंतर्गत बाढ़ कुम्सुवा और इसके पास के क्षेत्रों में तट सरक्षण कार्य	300.00
2.	2020-21 के लिए आरआईडीएफ XXV	नदी खेर कोटिया के कटाव से कुमारबाड़ी क्षेत्र में तट संरक्षण कार्य 180	180.00